तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 04/2021 बअनवान हिन्दाल खां वगै. बनाम सोमराज उर्फ सुमराज वगै.	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28.06.2022	पत्रावली पेश हुई। अपीलांटगण के अधिवक्ता श्री सोहनलाल चौधरी एवं रेस्पोडेंटस अधिवक्ता श्री छेलसिंह राठौड़ उपस्थित। अधिवक्ता उभयपक्ष की पत्रावली पर बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आलोच्य आदेश दस्जावेजात पर गौर किये बिना जल्दबाजी में पारित किया गया जो विधि की दृष्टि से दूषित है। मूल दावा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। उभयपक्ष के हितों का निर्धारण भी मूल दावे के निस्तारण पर ही संभव है। दावे के विचाराण में रहते अपीलांटगण को रेस्पोडेंटगण अपीलाधीन आराजी से जबरन बेंदखल करने पर प्रयासरत है तथा रेस्पोडेंटगण द्वारा अपीलांटगण के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप किया जा रहा है जिससे अपीलांट को भारी अपूरणीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति भविष्य में किया जाना सम्भव नहीं है। मामला प्रथम दृष्टया एवं सुविधा का संतुलन अपीलांटगण के पक्ष में है। अतः अपीलांटगण की अपील को स्वीकार फरमाया जावे। अधिवक्ता रेस्पोडेंटस ने बहस करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया। इस आराजी को लेकर सायली ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दावा पेश किया गया जो खारिज किया गया तथा प्रतिवादी संख्या 01 को गोदपुत्र माना गया। उक्त आदेश के विरूद्ध कोई भी अपील पेश नहीं हुई। अपील मे उठाये गये उजर एवं दावे के उजर भिन्न–भिन्न है जो विधि सम्मत नहीं है। अतः अपीलांट की अपील को खारिज फरमाई जावे। अधिवक्ता उभयपक्ष की पत्रावली पर बहस सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि मूल वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। उभयपक्षकारान के हकों का निर्धारण मूल वाद के निस्तारण पर ही संभव है। रेस्पोडेंटगण द्वारा अपीलाधीन आदेश की आड़ में अपीलांटगण के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप करते है तो अपीलांटगण के हितों पर कुठाराघात संभाव्य है। प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन अपीलांट के पक्ष में प्रतीत होता है। अतः अपील अपीलांट द्वारा पेश शपथ–पत्र पर विश्वास कर स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.07.2021 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर गुणावगुण पर अधिकतम तीन माह में मूल आवेदन धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का निस्तारण करे तब तक हाजा न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.08.2021 प्रभाव में (यथावत) रहेगा। उभयपक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 05.08.2022 को उपस्थित रहे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार नंबर से कम होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश सरे इजलाश सुनाया गया। (प्रतिष्ठा पिलानिया) राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर	